प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 133/**2023** (अपील सूचना का अधिकार)

आरूषि जैन पत्नी हिमांशु चोरड़िया निवासीः फ्लेट नंबर 502, हिंतावाला टॉवर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, भूवाणा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव, जिला-उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10-11-2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 05.09.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/133/23/1433-34 दिनांक 19.10.2023 से लिखा गया। अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः सू.अ./2023/755 दिनांक 30.10.2023 से कार्यालय को अवगत कराया कि श्रीमान के कार्यालय के पत्र क्रमांकः रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील संख्या 78/2023/1229-30 दिनांक 01.09.2023 के साथ प्रकरण संख्या 78/2023 अनवान आरूषि जैन बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बड़गांव में दिनांक 28.08.2023 में हुये निर्णय की प्रति आप श्रीमान द्वारा भिजवाई गई थी, उक्त निर्णय में अपीलार्थी द्वारा की गई अपील को खारिज किया जा चुका है। उक्त अपील को पूर्व में हुये निर्णय के आधार पर निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त अपील इस कार्यालय के प्रथम अपील संख्या 78/2023 निर्णय दिनांक 28.08.2023 से निस्तारित किया जा चुका है। पूर्व में एक अन्य अपील संख्या 32/23 भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसका निस्तारण दिनांक 06.12.2023 को किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा पुनः सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किये गये उक्त आवेदन पत्र की अपील प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण से संबंधित आवेदन पत्रो से संबंधित अपीलों का निस्तारण पूर्व में दिनांक 06.12.2023 एवं 28.08.2023 को निस्तारण किया जा चुका है। अपीलार्थी को यदि ऐसा

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

लगता है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर चाही जा रही वांछित सूचना का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकता है। चूंकि प्रकरण में अब किसी अन्य कार्यवाही इस स्तर से किये जाने की आवश्यकता नहीं है ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी यदि उक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उक्त निर्णय की अपील माननीय राज्य सूचना आयोग, राजस्थान जयपुर में करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गावं एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर